




**श्री योगी आदित्यनाथ**


मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश  
एवं मा. अध्यक्ष, मण्डी परिषद



**श्री श्रीराम चौहान**

मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),  
कृषि निर्यात, कृषि विपणन  
एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश

## मण्डी परिषद की नई दिशा- उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नये आयाम...



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

## कृषि मण्डियों के विकास पर एक दृष्टि....

वर्ष 1964 में "उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम" पारित किया गया ताकि परम्परागत कृषि मण्डियों में व्याप्त कृषीतियों, गैर कानूनी कटौतियों और बिचौलियों के अनुचित प्रभाव को समाप्त कर कृषि विपणन की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना की जा सके। इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित मण्डियों के गठन का कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1965-66 तक प्रदेश में विनियमित मण्डियों की संख्या मात्र 2 थी, जो बढ़कर 251 हो गयी है, इनके साथ 382 उपमण्डियां भी सम्बद्ध हैं। अब समग्र प्रदेश विनियमन के अन्तर्गत आ चुका है।

### मण्डी परिषद

मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन के लिए प्रदेश स्तर पर वर्ष 1973 में मण्डी परिषद की स्थापना की गयी है। मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों में अधिनियम के प्राविधानों को तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने और उनकी निर्माण परियोजनाओं के अनुसार निर्माण कार्य कराने की कार्यवाहियां सम्पादित करायी जाती हैं तथा अधिनियम के अन्तर्गत नये मण्डी क्षेत्रों/उपमण्डी स्थलों के विनियमन, निर्मित मण्डी स्थलों में व्यापार स्थानान्तरण, विनियमन हेतु निर्दिष्ट कृषि उत्पादों को अधिसूचित कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समिति और शासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है।

## उद्योगों को बढावा देने हेतु नई पहल-

### 1. चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017-22

प्रदेश से चावल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप 70/2017/640/अस्सी-2-2017-2(12)/2000 संख्या-दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-2022)" लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चावल निर्यात किये जाने पर शर्तों के अधीन मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट की व्यवस्था है।

### 2. उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-2023)

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2018/570/अस्सी-2-2018-200(1)/2011 दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-2023) आगामी 05 वर्षों के लिए लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल निर्यात किये जाने पर शर्तों के अधीन मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट की व्यवस्था है।

### 3. मेन्था निर्यात

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-17(क) (1)(ख) के अन्तर्गत मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तैलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात बचे अवशेष के, बिक्री के संव्यवहार पर कृषि उत्पाद के मूल्य का 1 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सेस लिया जा रहा है।

प्रसंस्करण इकाईयों को निर्यात पर मण्डी शुल्क/विकास सेस से छूट प्रदान की जायेगी, उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था प्रभावी की जाती है कि उक्त छूट हेतु देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारन्टी निर्यातक के द्वारा निर्यात से पूर्व मण्डी समिति में जमा करवायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर बैंक गारन्टी अवमुक्त कर दिया जायेगा।

उक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/1592/80-1-2018-600 (17)/2018 दिनांक 10 जुलाई 2018 द्वारा लागू की गयी है।

### 4. आम निर्यात

आम निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन सहायता नियमावली - 2005 एवं आम निर्यात हेतु हवाई/समुद्री भाड़े में सहायता नियमावली - 2005 तथा पूर्व में समय-समय पर संशोधित किये गये आदेशों को अतिक्रमित करते हुए "उत्तर प्रदेश नवाब ब्राण्ड आम निर्यात सहायता विनियमावली, 2018" लागू किये जाने का प्रस्ताव मण्डी परिषद के मा० संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में प्रस्तुत किया गया था। मा० परिषद द्वारा दी गयी स्वीकृति/अनुमोदन के क्रम में "उत्तर प्रदेश आम निर्यात विनियमावली 2018" परिषद पत्रांक-विप०-2/(आम नि०-19)/2018-992 दिनांक 29.03.2018 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। इस नियमावली के अन्तर्गत "नवाब ब्राण्ड" के निर्यात पर देय ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान उत्पादक को ₹० 6.00 एवं निर्यातक को ₹० 10.00 प्रति कि०ग्रा० तथा निर्यात पर देय परिवहन भाड़ा अनुदान निर्यातक को हवाई/समुद्री मार्ग से ₹० 15.00 प्रति कि०ग्रा एवं सड़क परिवहन से ₹० 7.50 प्रति कि०ग्रा० दिये जाने की व्यवस्था है।

### 5- उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना - 2018

"उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन, 2018" का प्रस्ताव मण्डी परिषद के मा० संचालक मण्डल की 154 वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में प्रस्तुत किया गया था। मा० परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में केवल "ताज ब्राण्ड" आलू के निर्यात पर दी जा रही निर्यात अनुदान की व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रदेश में उत्पादित समस्त प्रकार के आलू के निर्यात हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की जाय। तदनुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। मा० परिषद द्वारा लिए गये निर्णयानुसार "उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना - 2018" परिषद पत्रांक-विप०-2/आलू निर्यात-150/2018-993 दिनांक 29.03.2018 द्वारा निर्गत की गयी है।

इस नियमावली के अन्तर्गत उ०प्र० में उत्पादित आलू के सड़क मार्ग से निर्यात होने की स्थिति में सड़क परिवहन भाड़ा 1.00 ₹० प्रति किलो अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो प्रति पारेषण अधिकतम ₹० 25000/- तथा उ०प्र० में उत्पादित आलू के जल मार्ग से निर्यात होने की स्थिति में ₹० 0.50 प्रति किलो अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो तथा जल परिवहन भाड़ा सहायता के रूप में अतिरिक्त- 1-एशियाई अथवा मिडिल ईस्ट के देशों के लिए ₹० 1.50 प्रति किलो। 2-यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया के लिए ₹० 2.50 प्रति किलोग्राम दिये जाने की व्यवस्था है।

## 6. लहसुन निर्यात

मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 146 वीं बैठक दिनांक 22.06.2013 में पारित प्रस्ताव के क्रम में लहसुन के निर्यातकों को विदेशों में लहसुन निर्यात करने पर रू0 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। यह योजना वर्ष 2020 तक लागू है।

## 7. काला नमक चावल

उत्तर प्रदेश से ब्राण्डेड काला नमक राइस को ब्राण्ड प्रमोशन एवं भाड़ा सहायता अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निर्यात प्रोत्साहन विनियमावली - 2014 लागू किये जाने पर विचार हेतु प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल की 148 वीं बैठक, दिनांक 31.05.2014 में मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उत्तर प्रदेश से ब्राण्डेड काला नमक चावल (राइस) के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु रू0 0.50 (पचास पैसा मात्र) प्रति कि0ग्रा0 एवं भाड़े में सहायता हेतु रू0 2.00 (दो रुपया मात्र) प्रति कि0ग्रा0 ब्राण्ड प्रमोशन दिये जाने तथा ब्राण्ड प्रमोशन एवं भाड़ा सहायता अनुदान निर्यात प्रोत्साहन नियमावली - 2014 को अनुमोदित किया गया।

## 8. गुण/खाण्डसारी इकाईयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना (चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक) लागू किये जाने के सम्बन्ध में -

शासन के पत्र संख्या- 20/2019/1328/80-1-2019-600 (20)/1994 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश की केशर इकाईयों गुड़-खाण्डसारी के लिए चीनी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 में देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के बदले एकमुश्त समाधान धनराशि जमा करने की व्यवस्था कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचना निर्गत की गयी है।

## 9. थोक व्यापारी सह-आढ़तिया या थोक व्यापारी या आढ़तिया के लिए एकीकृत लाइसेंस की फीस

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तेइसवाँ संशोधन) नियमावली-2017 अधिसूचना संख्या-03/2017-2459-80-1-2017-78-2014 लखनऊ, 01 दिसम्बर, 2017 द्वारा एकीकृत लाइसेंस की फीस रू0 1,00,000 ( एक लाख मात्र) के स्थान पर रू0 10,000 (दस हजार मात्र) किये जाने का प्राविधान नियमावली में किया गया है।

## 10. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम - 2018

भण्डारागार / साइलो / शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थानों को मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित किये जाने/निजी मण्डी / सीधे विपणन के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम-2018 अधिसूचना संख्या- 813/79-वि-1-18-1 (क) 9-2018 लखनऊ, 11 अप्रैल 2018 द्वारा मण्डी अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है।

## 11. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली-2019

प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उपस्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर कृषकों से सीधे थोक क्रय की व्यवस्था हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाने/नवीनीकरण किये जाने तथा नियम-137 का संशोधन किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या- 07/2019/2485/80-1-2018-600 (22)-2022 टी0सी0 2 लखनऊ, 7 फरवरी, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली - 2019 में संशोधन किया गया है।

## 12- उपविधि 20(ग) के बिन्दु 23 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राविधान शामिल

परिषद आदेश पत्रांक: विप0-1/(उपविधि संशोधन-453)/2019-429 दिनांक 27.09.2019 द्वारा लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपविधि 20(ग) के बिन्दु 23 के अन्तर्गत "मण्डी समिति के दो गारण्टरों के शपथ-पत्र संलग्न/अपलोड करें अथवा आवेदक अपने प्रत्येक छः माह के कारोबार पर सम्भावित/अनुमानित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के तुल्य धनराशि की एफ0डी0आर0 अग्रिम रूप से मण्डी समिति में जमा रखेगा", का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है।

## 13- उपविधि 52 में अतिरिक्त प्राविधान किया जाना -

परिषद आदेश पत्र संख्या: विप0-1/(उपविधि संशोधन-451)/2019-455 दिनांक 05.10.2019 द्वारा उपविधि 52 के रूप में स्थानीय लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस में एवं एकीकृत लाइसेंस को स्थानीय लाइसेंस में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्राविधान किया गया है।

## 14- रू0 पाँच करोड़ की लागत वाली नव-स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों को मण्डी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना-

राज्य में औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-17-क(1)(क) के अन्तर्गत निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-1336/79-वि-1-13-1 (क)-17-2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-137 के अन्तर्गत निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-824/80-1-2015-600(1)/1981 दिनांक 16 मार्च, 2015 में ऐसी नई कृषि प्रसंस्करण इकाई जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक हो, को अधिकतम पाँच वर्ष के लिए मण्डी शुल्क से छूट अथवा उसकी दर में कमी किये जाने की व्यवस्था है।



## मण्डी परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ

मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से किसान भाईयों एवं लाईसेन्सी व्यापारियों/आढतियों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं:-

### 1. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना

इस योजना का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषक, खेतिहर मजदूर एवं मण्डी समिति से लाईसेन्स प्राप्त पल्लेदार, तौलक/मापक जो केवल कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य में संलग्न हो, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। इस योजना के अन्तर्गत उक्त योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति हुई हो, तो निम्न विवरणिका सीमा के अनुसार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है

1	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रु० 3,00,000.00
2	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आँखें या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रु० 75,000.00
3	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर	रु० 40,000.00
4	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अँगुलियों की क्षति होने पर	रु० 30,000 00
5	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ तीन अँगुली की क्षति होने पर	रु० 25,000 00
6	अंगूठे की क्षति होने पर	रु० 20,000 00
7	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो अँगुलियों की क्षति होने पर	रु० 15,000.00
8	किसी एक अँगुली की क्षति होने पर	रु० 5,000.00

### 2. मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना

इस योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इस योजना में उत्तर प्रदेशशासन द्वारा अधिसूचित समस्त मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत खलिहान में एकत्रित फसल एवं खेत में खड़ी फसल में अग्नि दुर्घटना में हुई क्षति हेतु नीचे दिये गये विवरण के आधार पर सहायता दिये जाने का प्राविधान है :-

क्रमांक	अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त फसल/क्षेत्रफल	देय सहायता धनराशि
(अ)	एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ तक की दशा में क्षतिग्रस्त होने	अधिकतम रु० 30,000/- अथवा वास्तविक आँकलित क्षति जो भी कम हो।
(ब)	एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु० 40,000/- अथवा वास्तविक आँकलित क्षति जो भी कम हो।
(स)	02 हेक्टेयर या 05 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु० 50,000/- अथवा वास्तविक आँकलित क्षति जो भी कम हो।

### 3. मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना

इस योजना के अन्तर्गत कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाये जाने के लिए नवीन मण्डी स्थलों में कृषि उपज का विक्रय करने की दशा में प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या-6 के आधार पर कृषकों को रु० 5,000/- मूल्य पर ईनामी कूपन निर्गत कर त्रैमासिक एवं छःमाही झा द्वारा निम्नवत् उपहार दिये जाने की व्यवस्था लागू है:-

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	पम्पिंग सेट( 8 हार्सपावर - किलोस्कर इंजन) अथवा रोटावेटर	दो

त्रैमासिक ड्रा :-

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
द्वितीय	पावर विनोइंग फैन	तीन
तृतीय	पावर स्प्रेयर	तीन
चतुर्थ	मिक्सर ग्राइंडर	तीन

छमाही बम्पर ड्रा -

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	ट्रैक्टर 35 हार्स पावर	दो
द्वितीय	पावर टिलर (सीटयुक्त 900 सी0सी0) (11के0वी0)(137 एच पी)	दो
तृतीय	पावर ड्रिवेन हार्वेस्टर/रीपर (4.00 हार्सपावर डीजल इंजन सहित)	तीन
चतुर्थ	सोलर पावर पैक सयंत्र	दस

#### 4 मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना

उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत कृषि/होम साइंस स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को मण्डी परिषद द्वारा छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था है। छात्रवृत्ति की धनराशि एवं योजना की शर्तें एवं नियम निम्नवत है :-

क्र०	शिक्षण संस्था का नाम	पाठ्यक्रम स्तर	छात्र/छात्राओं की संख्या	छात्रवृत्ति की दर (रु० प्रतिमाह)
1	कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान	कृषि स्नातक	25	रु० 3000/-
		होम साइंस स्नातक	06	रु० 3000/-
		कृषि स्नातकोत्तर	10	रु० 3000/-
		होम साइंस स्नातकोत्तर	04	रु० 3000/-
2	कृषि महाविद्यालय	कृषि स्नातक	10	रु० 3000/-
		कृषि स्नातकोत्तर	05	रु० 3000/-

#### 5 मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना

उक्त योजनान्तर्गत मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त किसी व्यापारी एवं आढ़ती की निर्मित मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल परिसर में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापारिक कार्य करते समय बाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से मृत्यु होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता के रूप में सहायता राशि रु० 3.00 लाख दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

#### 6 मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना

उक्त योजनान्तर्गत मण्डी स्थल एवं उप मण्डी स्थल के परिसरों में कार्यरत ऐसे लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों, जिन्हें मण्डी समिति में दुकान अथवा स्थान आवंटित किया गया है, मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थल के परिसर में अग्निकाण्ड दुर्घटना होने पर व्यापारियों एवं आढ़तियों को वास्तविक क्षति अथवा धनराशि रु० 2.00 लाख जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

#### 7 मूल्य सम्बर्धन को प्रोत्साहित किया जाना

पोस्ट हार्वेस्ट को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक क्रेट्स/प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराने की योजना पर निम्नानुसार मानकों के साथ कार्यवाही की जा रही है। यह योजना परिषद पत्रांक-विप0-2/परिषद बैठक अनुपालन/2018-1432 दिनांक 02.11.2018 द्वारा लागू की गयी थी। मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.7.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में इस योजना में क्रेट्स एवं प्लास्टिक शीट की संख्या में वृद्धि करते हुए पुनः परिषद पत्रांक-विप0-2(प्ला0क्रेट्स/शीटस-206)/2019-1691 दिनांक 16.4.2019 द्वारा संशोधित करते हुए यह संशोधित योजना 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी की गयी है।

#### (क) प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण

विगत तीन कृषि वर्षों में मण्डी में सबसे अधिक मूल्य योग के फल-सब्जी (आलू, प्याज व लहसुन को छोड़कर) लाने वाले किसान से आरम्भ कर घटते क्रम में प्रत्येक किसान को 04 क्रेट्स निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डी समितिवार किसानों की संख्या का कोटा वार्षिक निम्नवत होगा :-

क्र०	विवरण	किसान	प्रति नग	कुल केंद्रस
1	"क"विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	500	04	2000
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	250	04	1000
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	200	04	800
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	150	04	600

### (ख) प्लास्टिक शीट का वितरण

वितरण से पूर्व तीन कृषि वर्षों में अधिक मूल्य योग के निर्दिष्ट कृषि उत्पाद लाने वाले व्यापारी से आरम्भ कर घटते क्रम में मण्डी समितिवार की संख्या निम्नवत होगी :-

क्र०	विवरण	व्यापारी	प्रति नग	कुल प्लास्टिक शीट्स
1	"क"विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	100	04	400
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	80	04	320
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	60	04	240
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	40	04	160

**नोट:-समस्त योजनाओं से लाभ लेने हेतु विशेष जानकारी अपने मण्डी समिति के सचिव से प्राप्त करें।**



## राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र०

किसान मण्डी भवन, विभूति सण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

फोन नं 0522 - 2720383, 2720384, 2720405, 2720310

टोल फ्री/हेलपाईन नं. 155241 समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10. बजे तक

E-mail:pracharanubhag@gmail.com/ Visit us at : www.upmandiparishad.in